दिनाक 31.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–31 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय में ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' मनाया गया

आज दिनांक 31.10.2020 को श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस, जो **''राष्ट्रीय एकता दिवस''** के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर कोरोना (कोविड–19) वायरस संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का अनुपालन करते हुये अपने कक्ष में उपस्थित अधिकारियों के साथ शपथ दिलाई गयी।

इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग आदि का अनुपालन करते हुये उनके अपने–अपने कार्यालय में शपथ ली गयी कि –

''मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिये स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देश वासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।''

इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

<u>जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर</u>

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस, 01 कार बरामद**

दिनांक 31.10.2020 को थाना सैदपुर, थाना करण्डा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नसीरपुर ढाबा के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी सुन्दरम् उर्फ धनजी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस (आला कत्ल) व 01 स्कार्पियों वाहन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 523/2020 धारा 147/148/149/307/302/396/323/504/506/427/412 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुन्दरम् उर्फ धनजी निवासी गोसंदेपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगीः–</u>

1–01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस।

2–01 स्कार्पियों वाहन।

<u>जनपद हरदोई /कोतवाली पिहानी</u>

- **20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 31.10.2020 को प्रातः कोतवाली पिहानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहपुर सैदान तिराहे सलिया रोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी

विमलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस (हत्या की घटना में प्रयुक्त)बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिहानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 585/2020 धारा 147/148/302/323/341/458/34 भादवि में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना पिहानी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विमलेश निवासी ग्राम यादव निपनिया थाना पिहानी जनपद हरदोई।

बरामदगीः—

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना हीमपुर दीपा

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 30.10.2020 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मसीत के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी आजम उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो मु0अ0सं0 794/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— आजम उर्फ काला निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जीवित कारतूस।

जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी

- **05 शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये कीमत की 305 पेटी अवैध अग्रेजी शराब,01 ट्रक, 01 कार, व 40 हजार 110 रूपये नगद बरामद।**

दिनांक 30.10.2020 को थाना फतेहगंज पश्चिमी एंव आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेशनल हाई–वे खिरका के पास 05 शराब तस्कर 1– मनोज कुमार, 2– देवेन्द्र, 3– विकास, 4– अनिल, 5– सगीर अहमद, को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से लगभग 22 लाख रूपये कीमत की 305 पेटी अवैध अग्रेजी शराब मय ट्रक, 01 कार, व 40 हजार 110 रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज कुमार निवासी बत्स कालोनी जोरीनगर लाइनपार बहादुरगढ़ थाना लाइनपार झज्जर, हरियाणा।

2–देवेन्द्र निवासी ग्राम डिगल थाना बैरी जिला झज्जर, हरियाणा

3–विकास निवासी ग्राम मुकंदपुर थाना सदर बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा

4–अनिल निवासी ग्राम कानूनदा थाना सदर बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा ।

5–सगीर अहमद निवासी मोहल्ला हसनपुर कनेटा रोड थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लगभग 22 लाख रूपये कीमत की 305 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, ट्रक, कार, व 40 हजार 110 रूपये नगद।

जनपद अमेठी / थाना संग्रामपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग 02 लाख 75 हजार रूपये कीमत के जेवरात,800 रूपये नगद बरामद।**

दिनांक 30.10.2020 को कोतवाली संग्रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहजीपुर रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त शशिकान्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के लगभग 02 लाख 75 हजार रूपये कीमत के सोने चॉदी के जेवरात, 800 रूपये नगद, एवं 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया। बरामद जेवरात पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना संग्रामपुर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शशिकान्त निवासी कालिकन थाना संग्रामपुर अमेठी।

बरामदगी

1— चोरी के लगभग 02 लाख 75 हजार रूपये कीमत के सोने चॉदी के जेवरात, 800 रूपये नगद, एवं 01 मोटर साइकिल

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 02 जीवित ,01 खोखा कारतूस, एक दो पहिया वाहन बरामद।**

दिनांक 31.10.2020 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कुरालसी तिराहे पर मोटरसाइकिल सवार बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सोहनबीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर ,02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सोहनबीर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत के थानो में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोहनबीर निवासी ग्राम धनौरा थाना बिनौली, जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस ।

2–01 मोटर साइकिल।

एसटीएफःफेसबुक पर यू0एस0ए0/यू0ए0ई0 के नागरिकों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर भारतीय युवक/युवतियों को प्रेमजाल मे फंसा कर राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले नाईजीरियन गिरोह के सरगना सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30–10–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को फेसबुक पर यू0एस0ए0 /यू0ए0ई0 के नागरिकों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर भारतीय युवक/युवतियों को प्रेमजाल मे फंसाकर, गिफ्ट भेजने का झाँसा देकर, फिर गिफ्ट आने पर फर्जी कस्टम अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी बनकर अधिक कैश या कीमती गिफ्ट होने की बात कह कर, कस्टम ड्यिूटी पे करने/इनकम टैक्स पे करने व मनीलांड्रिग के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले नाईजीरियन गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के सरगना सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. Thiam Balde S/O Thiam R/O 57 Market Street, Police Station- NTD District- Delta, State Agbor Nigeria हाल पता खसरा न0 25/24 निलोठी थाना निहालपुर दिल्ली।
2. Ashatu D/O Usman R/O IDU Road, Police Station- NTD District- Delta, State Agbor Nigeria हाल पता खसरा न0 25/24 निलोठी थाना निहालपुर दिल्ली।

बरामदगी –

1. 02 अदद लैपटॉप ।
2. 02 अदद पासपोर्ट ।
3. 08 अदद मोबाईल फोन मय सिम कार्ड।
4. 01 अदद वाईफाई हाटस्पाट डिवाइस।
5. 02 अदद सिमकार्ड Nigeria की।
6. 01 अदद राउटर।
7. 1700/ रू नकद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांकः 30.10.2020, **स्थान–** सैनिक कालोनी मोड़, पीजीआई थाना क्षेत्र, जनपद लखनऊ, **समयः** 16:45 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फेसबुक पर यू0एस0ए0/यू0ए0ई0 के नागरिकों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर, भारतीय युवक/युवतियों को प्रेमजाल मे फंसा कर, गिफ्ट भेजने का झांसा देकर, फिर गिफ्ट आने पर फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर अधिक, कैश या कीमती गिफ्ट होने की बात कह कर, कस्टम ड्यिूटी पे करने/इनकम टैक्स पे करने व मनीलांड्रिग के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले नाईजीरियन गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय की साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि दिनांक 19/10/2020 को थाना पीजीआई, जनपद लखनऊ पर एक महिला डाक्टर द्वारा मु0अ0स0 767/20 धारा 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया कि कुछ महीने पहले फेसबुक पर डेविड एलेक्स नाम के व्यक्ति से मेरी दोस्ती हुई और बातचीत होती रही कुछ दिन बाद डेविड एलेक्स ने मुझे एक गिफ्ट मेरे मना करने के बाद भी भेज दिया और 82000/ रू जमा कर ले लेने को बोला। अगले दिन मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया कि आपका पार्सल आया है आपको 82000/ रू जमा करने होगें और एक एकाउंट नम्बर भेज दिया, जिस पर मेरे द्वारा 82000/ रू जमा कर दिये गये। इसके बाद उसी व्यक्ति द्वारा मुझे बताया गया कि पार्सल मे 56000/ पाउंड कैश मे है जिसके, लिए आपको 4 लाख 30000/ रू देने होंगे अगर नही जमा किया तो आपके उपर Money Laundering का केस फाइल हो जायेगा। मैने डर के 4 लाख 30000/ रू जमा कर दिये। इसके बाद Income Tax अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने मुझे काल करके बताया कि आपके पार्सल मे कुछ मंहगी ज्वैलरी है, जिसके लिए आपको 01 लाख रूपये जमा करने होंगे अगर जमा नही किया तो आपको हिरासत मे ले लिया जायेगा और आप पर केस चलेगा। मैने एक लाख रूपया उनके द्वारा बताये हुए खाते मे जमा कर दिए इसके कुछ दिन बाद मुझे एक तथाकथित Income Tax अधिकारी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि आपको Owner Ship Certificate , Income Tax Clearance Certificate, Money Laundering Certificate के लिए तुरंन्त 1.5 लाख रूपया जमा करने होंगे फिर मैने 1.5 लाख रूपया जमा कर दिया। परन्तु कुछ दिन बाद मुझे फिर बताया गया कि आपको 15.63 लाख रूपये जमा करने होंगे नही तो कस्टम आफिसर आपके घर आ जायेंगे। इसके बाद कई बार फोन कर कई दिनो तक मुझे डराया धमकाया जाता रहा इसके बाद जब मैंने पुलिस मे जाने की बात की तो डेविड एलेक्स ने मुझे फेसबुक पर Block कर दिया।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे इलेक्ट्रानिक सार्विलांस व मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलन कर उपरोक्त मुकदमे का सफल अनावरण कर त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 30–10–2020 को लगभग 16:45 बजे शनि मन्दिर चौराहे के पास, थाना क्षेत्र पीजीआई से एस0टी0एफ0 व थाना पीजीआई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त Thiam Balde ने बताया कि वह 2018 में नाईजीरिया से आकर दिल्ली मे रह रहा है, उसका भारत मे रहने वाला वीजा फरवरी 2020 मे समाप्त हो गया है। यही Ashatu D/O Usman R/O IDU Road, Police Station- NTD District- Delta, State Agbor Nigeria हाल पता खसरा न0 25/24 निलोठी थाना निहालपुर दिल्ली अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर के यू0एस0ए0/यू0ए0ई0 के नागरिकों के फर्जी 06 Facebook account & 03 Instagram account बनाकर, भारतीय युवक/युवतियों को प्रेमजाल मे फंसा कर धोखाधडी कर रहा है,जिसमे

कुछ नाइजीरियन युवक–युवतियों के साथ भारतीय भी शामिल है। Thiam Balde ने बताया कि हम लोग फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया एप से सुन्दर युवक युवतियों के फोटो निकाल कर अमीरों व सुन्दर युवक युवतियों की प्रोफाइल बनाकर पुरूषों से विदेशी महिलाएं व महिलाओं से विदेशी पुरूष बनकर दोस्ती कर लेते है फिर अपने–अपने प्रोफाइल के अनुसार मोबाइल व फेसबुक के माध्यम से भारतीय युवक/युवतियों को प्रेमजाल मे फंसाकर भारत उनसे मिलने आने/शादी कर विदेश ले जाने व उनके लिए रूपया व महंगे गिफ्ट भेजने की बात कहकर जो रूपया व माल उनको गिफ्ट के रूप मे देने के लिए भेजा है पकड़े जाने का झांसा देकर, फर्जी कस्टम अधिकारियों/ इनकम टैक्स अधिकारियों से बात कराकर गिफ्ट को छुडाने का लालच देकर अलग–अलग बैंक खातों मे Owner Ship Certificate , Income Tax Clearance Certificate, Money Laundering Certificate देने के नाम पर रूपया जमा करा लेते है। हमारे द्वारा ये बैंक खाते किराये पर लिए जाते है। जो भारतीय लोगों के होते है जिससे लोगों को विश्वास हो जाता कि उनके द्वारा जो रूपया जमा किया जा रहा है वह भारतीय कस्टम अधिकारियों/ इनकम टैक्स अधिकारियों के खातों मे जा रहा है। उपरोक्त गैंग द्वारा अब तक कई लोगों से करोड़ो रूपये की ठगी की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0स0 767/20 धारा 406/419/420/467/468 /471/120 बी/201 भा0द0वि0 व 66 सूचना प्रोद्यौगिकी अधि0 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ मे दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना पीजीआई जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः क्रिकेट आई0पी0एल0 ट्राफी के दो सट्टेबाज गिरफ्तार

दिनाकः 30.10.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को क्रिकेट की आई0पी0एल ट्राफी के सट्टेबाज प्रशान्त जायसवाल व विवेक चौधरी को सट्टेबाजी में प्रयुक्त उपकरण एवं सट्टेबाजी से प्राप्त धन के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– प्रशान्त जायसवाल पुत्र प्रदीप कुमार जायसवाल निवासी मोहल्ला गीता प्रेस, शिवपुर, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर

2– विवेक चौधरी पुत्र शिवशंकर चौधरी निवासी मोहल्ला मोहनापुर, पादरी बाजार, थाना शाहपुर जनपद, गोरखपुर

बरामदगीः

1– नकद रू0–86000/– नकद।

2– 05 अदद मोबाइल फोन जिसमे एक अदद डिब्बा फोन है।

3– एक अदद डायरी जिसमें सट्टे का आंकड़ा अंकित है।

4– दो अद्द रजिस्टर जिसमें सट्टे का आंकड़ा अंकित है।

7– दो (02) अदद चेक विभिन्न बैंकों के विभिन्न खाता धारकों द्वारा निर्गत, इन चेकों का प्रयोग सट्टेबाज गिरवी के तौर पर रखता था।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर क्षेत्रान्तर्गत ईस्टर्नपुर पादरी बाजार मोहल्ला, दिनांकः 30–10–2020 को समय 22:30 बजे रात्री।

आई0पी0एल0–2020 क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सूचनायें प्राप्त हो रही थी कि वर्तमान में चल रहे आई0पी0एल0 मैच 2020 में बेटिंग एक्सचेन्ज बनाकर के लोगों को जोड़ कर प्रत्येक मैच में सट्टा बाजी का काम संगठित गिरोह संचालित कर रहा है, जिसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री डी0के0

शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक–30.10.2020 को ज्ञात हुआ कि थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर क्षेत्रान्तर्गत ईस्टर्नपुर पादरी बाजार मोहल्ला में आई0पी0एल0 ट्राफी के मैचों में सट्टा खेला जा रहा है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक जुआ अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा बन्द स्थान की तलाशी हेतु वारण्ट प्राप्त किया गया। तत्पश्चात निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0, फील्ड इकाई, गोरखपुर टीम द्वारा मुखबिर के बताये हुये उक्त ईस्टर्नपुर पादरी बाजार मोहल्ला के मकान पर दबिश दी गयी तो सट्टा खेलते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से व उक्त कमरे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ से प्रशान्त जायसवाल ने बताया कि ईस्टर्नपुर पादरी बाजार मोहल्ला निवासी मनीष कुमार यादव के मकान को द्वितीय तल पर एक कमरा रू0 5000/–प्रतिमाह के दर से किराये पर लेकर आई0पी0एल0 के मैचों में सट्टेबाजी लगवाता था यह स्वंय इसका गैंग लीडर है। ये दोनों इस वर्ष आई0पी0एल0 के शुरूवात से ही सट्टा खेल रहे हैं। इस सट्टेबाजी में प्रशान्त जायसवाल भी स्थानीय बुकी का काम करता था इसका सम्पर्क बाहर के बुकी से था जो इनको अलग फोन लाइन उपलब्ध कराकर सट्टे के भाव की कमेण्ट्री करवाता रहता है। प्रशान्त जायसवाल द्वारा ही स्थानीय लोगो से टीमों के मौजूदा भाव के आधार पर उन से मोबाईल पर सट्टा लगवाता था। मैच समाप्त होने के उपरान्त अगले दिन ये लोग सट्टेबाजों से पैसा वसूलते हैं। दिनांक 30.10.2020 को आई0पी0एल0 में किंग्स इलेवन पंजाब व राजस्थान रायल के बीच मैच का भाव 19–21 का था। यदि किग्स इलेवन पंजाब की टीम जीत जाती तो उस टीम पर लगाये गये सट्टे पर सट्टेबाजो को 1000 रूपये पर 1900 रू0 अतिरिक्त मिलता। यदि राजस्थान रायल की टीम जीत जाती तो राजस्थान रायल टीम पर लगाये गये सट्टे पर सट्टेबाजों को 1000 रूपये पर 2100/ अतिरिक्त मिलता। प्राप्त चेकों के बारे में पूछने पर बताया कि ये चेकों को सट्टेबाजो से गिरवी के तौर पर रखते थे। जिस मोबाइल फोन पर सट्टे की भाव की कमेण्ट्री आती रहती है उसे डिब्बा फोन भी कहते है। बाहर के बुकी के बारे में बताया कि बुकी का सम्पर्क राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है।उसी के द्वारा प्रशान्त जायसवाल को 4000 रू0 प्रतिमाह पर डिब्बा फोन का लाईन उपलब्ध कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर पर दाखिल कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0 1375/2020 धारा–3/4 उ0प्र0 सार्वजिनक जुआ अधि0 व घारा 201, भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34/201/506 भादवि में अभियुक्त 1–देवेन्द्र, 2– सुभाष को आजीवन कारावास की सजा एवं 31 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>जनपद खीरी (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 12 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद खीरी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त इस्माइल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 12 लाख रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

——————